भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2339

21 दिसम्बर, 2022 के लिए प्रश्न

गेहूं और चावल के निर्यात पर से प्रतिबंध का हटाना

2339. श्री राम मोहन नायडू किंजरापु:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में घरेलू खपत और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए पर्याप्त खाद्य भंडार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार गेहूं और चावल के निर्यात पर से प्रतिबंध हटाएगी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने रबी के मौसम में गेहूं का क्रय कम कर दिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) : जी हां। अक्तूबर-दिसंबर तिमाही के लिए 307.70 लाख टन के खाद्यान्न स्टॉकिंग मानदंड की तुलना में दिनांक 01.10.2022 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों का स्टॉक 432.13 लाख टन था। यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) और अतिरिक्त आवंटन (प्राकृतिक आपदा, त्यौहार, आदि) के अंतर्गत घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

(ख) : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है और इसलिए केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों के पर्याप्त स्टॉक को सुनिश्चित करने के लिए सभी साधन उपलब्ध कराए जाते हैं।

(ग) : जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

*****